बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम त्रैमास, अप्रैल, 2017 से जून, 2017 हेतु किरासन तेल के आवंटन में वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतिम त्रैमास हेतु कर्णांकित आवंटन से 11.61 प्रतिशत की कटौती किया गया है । भारत सरकार के द्वारा उक्त आवंटित किरासन तेल की मात्रा में कटौती किये जाने के फलस्वरूप राज्य के 11 (ग्यारह) नगर निगम क्षेत्र यथा पटना, नालन्दा, भोजपुर, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय एवं मुंगेर का किरासन तेल का आवंटन समाप्त किया जाता है।

इसके अतिरिक्त शेष बचे हुए क्षेत्रों हेतु निम्नरूपेन कंडिकावार किरासन तेल वितरण की व्यवस्था की जाती है :–

(1) ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों हेतु प्रतिमाह प्रति परिवार देय मात्रा 2.25 लीटर एवं शहरी क्षेत्र में 1.00 लीटर ।

(2) प्रत्येक ठेला भेण्डर को प्रतिमाह देय मात्रा 700 लीटर ।

(3) राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों/ईकाईयों एवं नेपाल से सटे जिलों में अवस्थित ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के थानों एवं पुलिस पोस्टों हेतु प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए प्रतिमाह कुल 62,110 लीटर किरासन तेल का प्रावधान किया जाता है ।

(4) जिला सुरक्षित मद में विभिन्न जिलों में अवस्थित कार्यालयों के आधार पर जिलों को वर्गीकृत करते हुए निम्न रूप में सुरक्षित मद के उपावंटन की व्यवस्था की जाती है:–

(i) जिले जहाँ प्रमंडलीय मुख्यालय, विश्वविद्यालय एवं अधिक संख्या में संस्थान हैं क्रमशः पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर 6067 लीटर प्रतिमाह ।

(ii) जिले जहाँ विश्वविद्यालय एवं प्रमंडलीय मुख्यालय अवस्थित है, भोजपुर एवं सारण 5308 लीटर प्रतिमाह ।

(iii) वैसे जिले जहाँ प्रमंडलीय मुख्यालय या विश्वविद्यालय अवस्थित है, क्रमशः मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, नालन्दा एवं मधेपुरा 4550 लीटर प्रतिमाह ।

(iv) कंडिका (i), (ii) एवं (iii) में वर्णित जिलों को छोड़कर शेष 26 जिलों के लिए 3791 लीटर प्रतिमाह ।

(5) यह आदेश निर्गत की तिथि से ही प्रभावित होगा। इसके पूर्व निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

6/5/2017
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र07– कि0आ0–01/2017 2163 खाद्य/पटना, दिनांक– 06.05.17

प्रतिलिपि– सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, खाद्य/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/5/2017
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र07– कि0आ0–01/2017 2163 खाद्य/पटना, दिनांक– 06.05.17

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार, विद्युत वितरण कम्पनी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि निगम क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के अनुश्रवण की विशेष व्यवस्था की जाय ताकि विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित समस्याओं का तत्काल निराकरण हो एवं आम लोगों को कठिनाई न हो।

6/5/2017
सरकार के सचिव ।

D:\M_2016\Sec_PK Oil Order.doc